न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 56/2021

1. **कान्ता देवी पत्नि श्री शिवराज जाति रेगर निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी**
2. **प्रेमदवी पत्नि श्री रामरतन**
   जाति रेगर निवासीगण ग्राम कोहड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बाशंकर पुत्र श्री स्वर्गीय श्री हरदेव रेगर
2. रामस्वरूप पुत्र श्री बिरदा तेली
3. ग्यारसीलाल पुत्र श्री जेठा रेगर
4. मोती पुत्र जेठा रेगर
5. किशनलाल पुत्र कजोड रेगर
   सभी निवासीगण ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकड़ी जिला –अजमेर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री सीताराम कुमावत वकील–प्रार्थी
श्री डी0एल0वर्मा,रमेश मीणा वकील– अप्रार्थी
तहसीलदार केकड़ी (पैरोकार सरकार)– अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 13.07..2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कोहड़ा की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071–74. मे स्थित हैः–

खेवट खतौनी संख्या नया–पुराना	ख.नं.	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म
197–189	1781/1609	0.8100	बारानी 1
	कुल किता 01	0.8100	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीगण ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है परन्तु वे अकारण ही प्रार्थीगण से रंजिश रखते है, तथा प्रार्थीगण की हक, हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की बदमंशा रखते है। आज से लगभग 5–6 दिन पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमा को हांक जोत कर नष्ट कर दिया जिससे सीमाए अस्पष्ट हो गयी है। जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गयी है। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के सीमाचिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। सीमाचिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया है। जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा मोके पर लड़ाई झगड़ा एवं अशान्ति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 06 को सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 06 ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त आराजीयात न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से तथा न्यायालय का श्रवणाधिकार होने से पेश

Scanned with CamScanner

किया जा रहा है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी की फीस जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश अप्रार्थीगण को नियमानुसार फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीया तमे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। तथा ना ही सीमाचिन्हो को नष्ट करे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की और से श्री डी0एल0वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 06–पैरोकार सरकार की और से जवाब पेश किया गया जवाब मे बताया गया कि प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही होता है। पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

प्रार्थी के लायक अभिभाषक ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा आराजी प्रश्नगत की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार केकड़ी को आदेश जारी करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार– तहसीलदार केकड़ी ने आदेशिका पर राजहित प्रभावित नहीं होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है तो श्रीमान् के द्वारा आदेश प्रसारित किये जाने पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर दी जावेगी। राजहित प्रभावित नहीं है।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकड़ी– पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम कोहड़ा की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या नया–पुराना 197–189 खसरा नंबर 1781/1609 रकबा 0.8100 बारानी 1 की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीयांगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है ,जो उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी पत्थरगढ़ी शुल्क नियमानुसार राज्य सरकार मे जमा करावे। तहसीलदार केकड़ी को आदेश दिए जाते है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी,प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी मे, दक्ष कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे,खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी अजमेर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner